

प्रश्न सं. [ क. 2144 ]

4928182.85

विद्यान समाज-प्रबन्धक वाला छाता श्रीमान् विनायक द्वि संस्कृत विद्यालय ।

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में लागू

# वित्तीय शाविता पुस्तिका

भाग 1 व 2

आर.टी.पानथरे

स्विधा लॉ हाउस प्रा. लि.

मात्रा विद्या  
अधिकारी  
गणराज्य, बलाम भवन, मुम्बई

### 1. सामान्य प्रश्नावली विभाग

| अनु.<br>क्र.  | विवरण   | शक्तियों का प्रयोग करने<br>वाला सक्षम प्राधिकारी   | प्रत्यायोजन की सीमा | शर्तें |
|---|---|--|---------------------|--------|
| (1)   | (2)   | (3)  | (4)                 | (5)    |
| <b>(i) सदृश्यप्रदेश आदिवालयीन अधिकारियों के संबंध में वित्तीय अधिकार</b>                              |   |  |                     |        |
| 1. साधिवालयीन तथा मन्त्री स्थापना के संबंध में आवर्ती आकार्स्त्रिक खर्च (कहीं आण्विकत न हो) की मजबूरी | 1. मुख्य सचिव<br>2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग<br>3. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग<br>4. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग  | पूर्ण शक्तियाँ<br>प्रत्येक प्रकरण में रु. 25,000 तक<br>प्रत्येक प्रकरण में रु. 10,000 तक<br>प्रत्येक प्रकरण में रु. 1,000 तक   |                     |        |
| <b>(ii) *छातीसगढ़ आदिवालयीन अधिकारियों के संबंध में वित्तीय अधिकार</b>                                |   |  |                     |        |
|   | 1. मुख्य सचिव<br>2. मुख्य सचिव / सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग<br>3. विशेष सचिव / संयुक्त सचिव,<br>सा.प्र.वि.<br>4. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग<br>5. राजस्ट्रार/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग | पूर्ण शक्तियाँ<br>प्रत्येक प्रकरण में रुपये पांच लाख तक<br>प्रत्येक प्रकरण में रुपये 2 लाख तक<br>प्रत्येक प्रकरण में रुपये एक लाख तक<br>प्रत्येक प्रकरण में रुपये 25,000/-<br>तक |                     |        |

\* छातीसगढ़ शासन, वित्त विभाग क्रमांक 249/238/वि/नि.चार/2002, दिनांक 10.5.2002 द्वारा जारी।

| (1)   | (2)   | (3) | (4) | (5) |
|---|---|-----|-----|-----|
| 2. वीरता के लिए इनमें सहित सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग<br>टी.ए. मेडल तथा अन्य | पूर्ण शक्तियाँ<br>इस संबंध में शासन प्रस्ताव तथा शासन द्वारा नियुक्ति दर्ती के अधीन |     |     |     |

- 1 2 3 4 5
20. निवारण ठेके तथा अनुबंध को स्थीकार करते को शक्ति। जिता योजना समिति कार्य विभाग के मुख्य अधिकारी के समान
21. कार्य का निष्पादन, विना जिता योजना समिति दरो को अनुमूल्य तक पूरी लोक निमाण विभाग/ग्रामीण यात्रिको राजितयों तथा 20 प्रतिशत सेवा के साथ प्रयोग से अधिक
22. दरो को अनुमूल्य में उपबंधित 1. संभागीय आनुकूल अधिकारी के समान दरों के किसी भी हेतु एक मुश्ति प्राप्तान की यजूदे 2. कठोरकर्तव्य कार्य विभाग के मुख्य अधिकारी के समान यंत्रों के समान
23. एना बिलों को चालित करना सहायक यंत्रों, आदिवासी कार्य विभाग के सहायक कठोरकर्तव्य विभाग/व्हाँड़ोंक स्तरीय यंत्रों के समान अधिकारी
24. प्रत्येक चौथा रनिंग विल तथा समस्त अधिकारी जो प्रसासकीय अनुमंदन देने के अंतिम बिल पारित करना तिर सक्षम है पूर्ण शक्तियां

अनुमूल्य  
सम्युक्त  
अधिकारी  
अधिकारी/जाति  
काल्पनिक

प्रतीय शक्ति पुस्तिका, 1995